

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

220(6)९  
05.2.18

शुद्धि-पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 265(6)ब, दि०- 05.01.16 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत राँची जिला के नामकुम प्रखण्ड के बड़ाम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की गई थी । उपायुक्त, राँची के अनुशंसा पर उक्त स्वीकृत योजना का स्थल परिवर्तित कर "बड़ाम" के स्थान पर नामकुम प्रखण्ड अन्तर्गत "जामचुआँ" किया जाता है ।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश का शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।
3. प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।



(सुधीर त्रिपाठी)


सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या: 06/पी० (नई यो०)- 42/15- 220(6)९ / स्वा०, राँची, दिनांक: 05.2.18

प्रतिलिपि: माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग/भवन निर्माण विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी प्रशाखा के प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/संबंधित भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

220(6)९

5.2.18



(सुधीर त्रिपाठी)

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।